drugs, intermediates and raw materials is to encourage the manufacture of bulk drugs and formulations from more basic stages as also to ensure the availability of medicines in adundant quantity at reasonable prices to the consumers.

The names of bulk drugs on which Government reduced/exempted custom duty during the year 1991 and 1992 have been given in Ministry of Finance Notification No. 45/79-Customs dated 1-3-1979 (as amended from time to time) and Notification No. 216/92-Customs dated 19-6-92. The copies of these notifications are available in the Parliament Library. As regards the names of major producers of formulations based on each drug, their number being very large, the time and labour involved in the collection and compilation of this voluminous information will not be commensurate with the results likely to be achieved.

Suspension of Labourers in F.C.I.

3078. SHRI VISHWASRAO RAM RAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that five labourers have been suspended in the factory of Fertilizer Corporation of India at Sindri (*Dhanbad*), Bihar as appeared in *Jansatta* dated 2nd July, 1992 under the caption Sindri Karkhane Me Panch Majdoor Nilambit";

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) to (c) Five workers of the Sindri Unit of Fertilizer Corporation of India Limited (FCI) were suspended with effect from 29-6-1992 on account of misconduct. FCI have reported that these employees prevented the contract workers from bagging work and also mis-behaved with the Plant Manager. Departmental proceedings have also been initiated against them.

उर्वरक क्षेत्र के कर्मकारों के वेतनमानों में असमानता

3079. **श्री राजूभाई ए० परमार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक क्षेत्र के कर्मकारों के वेतनमानों में असमानता विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चौथे वेतन आयोग ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं और किस क्षेत्र ने इन्हें लागू नहीं किया है; और

(घ) जिन क्षेत्रों में उक्त सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है उनमें इन्हें लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन): (क) और (ख) सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की प्रत्येक उर्वरक कम्पनी में श्रमिकों के वेतनमान को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग (भाग 1) की रिपोर्ट जो अन्य बातों के साथ-साथ वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित थी, 18 जुलाई, 1986 (अंग्रेजी रूपान्तर), 4 नवम्बर, 1986 (हिन्दी रूपान्तर) सभापटल पर रखी गयी थी। आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों सहित सरकार के विभागीय उपक्रमों के औद्योगिक श्रमिकों से सम्बन्धित है और ये सिफारिशें सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू कर दी गयी हैं। केन्द्रीय वेतन आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सिफारिश नहीं की है।